



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 342 राँची, गुरुवार,

18 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-1-50/2020-36672 (HRMS)--सुश्री अमृता कुमारी, झांप्र०से० (पंचम बैच, कोटि क्रमांक-554/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के विरुद्ध उपायुक्त, दुमका के जापांक- 2671, दिनांक 04.09.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजते हुए उसकी प्रति कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करायी गयी।

आरोप पत्र में सुश्री कुमारी के विरुद्ध 58 जप्त ट्रकों में से 42 ट्रकों को भाग जाने, जिससे सरकार की छवि धूमिल होने, अवैध बालू उत्खनन करने वाले के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने, अवैध पत्थल खनन के दौरान मजदूर के मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने, पत्रों में Back Dating करने, अवैध खनन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों पर सुश्री कुमारी के पत्रांक-871, दिनांक 01.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा सुश्री कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-4347, दिनांक 09.12.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें

उल्लेख किया गया कि उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-2671, दिनांक 04.09.2020 द्वारा सुश्री अमृता कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों, सुश्री कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, इस पर उपायुक्त से प्राप्त मंतव्य एवं उपलब्ध अभिलेखों की सम्यक समीक्षा की गई। मामले के समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार सुश्री अमृता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका को उनको दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के स्तर से अनुमोदित है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं मामले की समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-727, दिनांक 07.02.2023 एवं स्मार पत्रों द्वारा सुश्री कुमारी से संबंधित मामले में आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की बन्धुवार समीक्षा टिप्पणी तथा माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आदेश की प्रति की माँग राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से की गई।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1104(9)/रा0, दिनांक 25.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सुश्री कुमारी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के अनुमोदन उपरांत सुश्री कुमारी से विभागीय पत्रांक-3943, दिनांक 04.07.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है।

उक्त के अनुपालन में सुश्री कुमारी के पत्रांक-339, दिनांक 25.04.2026 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

सुश्री कुमारी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया कि इनके अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक- 2671/गो0, दिनांक 04.09.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप के संबंध में इनके द्वारा पूर्व में बिन्दुवार जवाब राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को समर्पित किया गया था। तत्पश्चात् राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, दुमका का बिन्दुवार मंतव्य की माँग की गई थी, जिसके आलोक में उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1673/गो0, दिनांक 18.06.2021 के माध्यम से इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए बिन्दुवार मंतव्य अंकित कर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को इनको आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी। किन्तु उपायुक्त, दुमका द्वारा इनको आरोप मुक्त करने के पश्चात् भी इनके उपर दण्ड अधिरोपित किया गया।

सुश्री कुमारी द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण के जवाब में रखा गया है। सुश्री कुमारी का कहना है कि उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1673/गो0, दिनांक 18.06.2021 द्वारा समर्पित मंतव्य में इनको आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी थी।

इस संबंध में अंकनीय है कि उपायुक्त, दुमका द्वारा समर्पित मंतव्य में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के कुछ बिन्दुओं पर जवाब को स्वीकार किया गया तथा अवैध खनन रोकथाम कार्य में शिथिलता पर जवाब संतोषजनक नहीं माना गया है एवं मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि यदि नियमित जाँच की जाती तो प्रतिवेदन भी नियमित भेजा जाता। साथ ही, उल्लेख किया गया कि पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गई है। उपायुक्त, दुमका द्वारा सुश्री कुमार को पूर्णतः आरोप मुक्त करने की अनुशंसा नहीं की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, सुश्री अमृता कुमारी, झा०प्र०से० (पंचम बैच, कोटि क्रमांक- 554/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री अमृता कुमारी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA KUMARI 110097710611	सुश्री अमृता कुमारी, झा०प्र०से० (पंचम बैच, कोटि क्रमांक- 554/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, दुमका द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
